भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3173

उत्तर देने की तारीख: 07.08.2025

पीवीटीजी के कल्याण के लिए योजनाएँ

+3173. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधिः

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विशेषकर कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान में लागू योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या और आवंटित एवं उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता योजना के अंतर्गत तमिलनाडु को, विशेषकर इसके छह पीवीटीजी नामतः टोडा, कोटा, कुरुम्बा, इरुला, पनिया और कट्टुनायकों के कल्याण और विकास के लिए वितरित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) द्वारा तमिलनाडु में जनजातियों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए पीवीटीजी पर बहु-विषयक अध्ययन के आह्वान पर प्रतिक्रिया दी है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा तमिलनाडु में इन पीवीटीजी के लिए किए गए आधारभूत सर्वेक्षणों की स्थिति क्या है और निष्कर्षों के आधार पर क्या कार्य योजनाएँ तैयार की गई हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (ङ): 15 नवंबर 2023 को, माननीय प्रधानमंत्री ने 18 राज्यों और एक संघ राज्यक्षेत्र में रहने वाले 75 पीवीटीजी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) शुरू किया। मिशन का उद्देश्य तीन वर्षों में सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए लोगों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी, अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण और स्थायी आजीविका के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। इन

उद्देश्यों को 9 लाइन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 11 उपायों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। पीएम जनमन का कुल बजटीय परिव्यय 24,104 करोड़ रूपये (केंद्रीय हिस्सा: 15336 करोड़ रूपये और राज्य हिस्सा: 8768 करोड़ रूपये) है। अभियान के अंतर्गत प्रत्येक मंत्रालय उसे सौंपे गए उपाय को क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार है। अभियान के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय के उपायों के लिए राज्य-वार, वित्तीय प्रगति, का ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) के कार्यान्वयन के मद्देनजर, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासन/विभागों के माध्यम से पीएम गति शक्ति मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से आवास स्तर पर डेटा संग्रह का कार्य शुरू किया है ताकि पीएम जनमन के तहत गांवों और बस्तियों में रहने वाली पीवीटीजी आबादी को कवर करने के लिए पीवीटीजी आबादी के आंकड़ों और बुनियादी ढांचे के अंतरों का अनुमान लगाया जा सके। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा आवास स्तर पर डेटा संग्रहण कार्य के लिए एकत्र किए गए डेटा के आधार पर, तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार पीवीटीजी और गांवों की संख्या **अनुलग्नक II** में सारणीबद्ध की गई है। इन अभियानों के अंतर्गत कवर किए जाने वाले लाभार्थियों की वास्तविक संख्या अनुमोदित मानदंडों के अनुसार संबंधित उपायों के विशिष्ट दिशानिर्देशों के पात्रता मानदंडों के अध्यधीन है।

इसके अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय कक्षा 6 से 12 तक अजजा छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एक प्रमुख योजना "एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)" भी क्रियान्वित (लागू) कर रहा है। प्रत्येक ईएमआरएस में 5% सीटें पीवीटीजी छात्रों के लिए आरक्षित हैं।

राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना में, 750 स्लॉट में से 25 स्लॉट पीवीटीजी छात्रों के लिए आरक्षित हैं। अजजा छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति के अंतर्गत, 20 स्लॉट में से 3 स्लॉट पीवीटीजी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं।

पिछले पांच वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान "अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता" योजनाओं के अंतर्गत पीवीटीजी सहित अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु तमिलनाडु के संबंध में गैर सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रूपये में)

2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
1.17	2.75	2.50	3.77	1.89	0.20

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इसने तमिलनाडु में पीवीटीजी समुदायों से संबंधित 4 प्रमुख परियोजनाएं प्रदान की हैं।

अनुलग्नक ।

"पीवीटीजी के कल्याण के लिए योजनाएँ" के संबंध में श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि द्वारा दिनांक 07.08.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3173 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

जनजातीय कार्य मंत्रालय के उपायों के लिए पीएम-जनमन के अंतर्गत स्वीकृति/जारी निधि का ब्यौरा*

(करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	जनजातीय कार्य मंत्रालय				
		एमपीसी			वीडीवीके**	
		2023-24 से 2025-26 के दौरान निर्मुक्त निधियां	प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी)	एसएनए शेष	स्वीकृत निधियां	निर्मुक्त निधियां
1	आंध्र प्रदेश	47.49	19.87	0.06	3.0755	1.53825
2	छत्तीसगढ़	8.52	0.00	6.96	1.1975	0.59875
3	गुजरात	6.03	0.00	3.54	0.525	0.2625
4	झारखंड	18.54	0.62	16.53	1.438	0.72
5	कर्नाटक	28.99	3.33	15.42	0.918	0.292
6	केरल	2.29	0.00	1.10	0.2685	0.10825
7	मध्य प्रदेश	25.99	13.47	11.78	2.545	1.27275
8	महाराष्ट्र	45.03	12.47	24.65	1.812	0.90635
9	ओडिशा	36.60	0.00	11.85	2.2365	0.8891
10	राजस्थान	6.76	0.00	1.66	4.421	2.20045
11	तमिलनाडु	25.87	10.10	5.43	1.2015	0.60075
12	तेलंगाना	16.16	0.00	4.42	0.7305	0.36525
13	त्रिपुरा	12.07	10.02	2.06	1.275	0.627
14	उत्तर प्रदेश	0.83	0.00	0.84	0.1595	0.0797
15	उत्तराखंड	7.20	0.62	0.17	0.317	0.1585
16	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.139	0
17	अंडमान और निकोबार	0.00	0.00	0.00	0.028	0.014
18	मणिपुर	3.30	0.00	0.00	0.3	0.15
19	बिहार	2.10	0.00	0.00	0	0
कुल योग		**293.77**	**70.50**	**106.47**	**22.5875**	**10.7836**

*अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए जाने वाले उपायों के लिए स्वीकृत/उपयोग की गई निधियों का रिकॉर्ड संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा रखा जाता है।

**उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं

अनुलग्नक-II

"पीवीटीजी के कल्याण के लिए योजनाएं" के संबंध में श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि द्वारा दिनांक 07.08.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3173 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा मोबाइल एप्लिकेशन-आधारित आवास सर्वेक्षण के आधार पर पीवीटीजी जनसंख्या का अनुमान

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**पीवीटीजी जनसंख्या**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	191
2	आंध्र प्रदेश	518997
3	बिहार	8839
4	छत्तीसगढ़	233337
5	गुजरात	153524
6	झारखंड	400954
7	कर्नाटक	57501
8	केरल	29533
9	मध्य प्रदेश	1322807
10	महाराष्ट्र	670543
11	मणिपुर	44694
12	ओडिशा	309883
13	राजस्थान	128766
14	तमिलनाडु	365473
15	तेलंगाना	63755
16	त्रिपुरा	274433
17	उत्तर प्रदेश	3527
18	उत्तराखंड	95870
19	पश्चिम बंगाल	67499
कुल योग		**4750126**

*****